



50

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र.  
प्रकरण क्रमांक 72016 निगरानी नं. 435-III-16

प्र. मापक श्री विनोद जी  
हर. नुत  
दिनांक 5/11/16  
आ. न्यायालय  
उज्जैन

अभ्युक्त न्यायालय  
रु. प्रस्ता  
13-1-16

23  
5/11/16

- 1- ऊकारसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत उम्र 50 साल लगभग छंटा-छेती निवासी ग्राम सगवाली तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.
- 2- मोहनसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत उम्र 45 वर्ष छंटा-छेती निवासी ग्राम सगवाली तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.।

-----आवेदकगण

विस्द

- 1- गोरधनसिंह पिता भगवानसिंह राजपूत उम्र-48 वर्ष छंटा-छेती निवासी ग्राम सगवाली तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.।
- 2- गोकुलसिंह पिता रतनसिंह राजपूत उम्र-70 वर्ष छंटा-छेती निवासी ग्राम सगवाली तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.।
- 3- श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.।

-----अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील महिदपुर जिला उज्जैन की  
न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक 7अ।2/2015-16 में पारित आदेश के  
माध्यम से का. नु. दिनांक 06/12/2015 को चुनौती देने हेतु  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा. संहिता -

माननीय महोदय,

3

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है-

:- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -:

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-435-तीन/16

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(3)</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	